

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

दिनांक -

क रीडर/2019/  
प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 तुलछाराम पुत्र  
हरलाल 2 भेराराम  
पुत्र जगराम जाति  
जाट निवासी  
नारणोणियों की ढाणी  
(भाडखा) तहसील व  
जिला बाड़मेर।

1 लुणाराम 2 बंशी 3 पप्पन 4 जेठाराम पिसरान मोतीराम 5  
इन्द्राराम पुत्र रावताराम जाति नाई 6 राणी पुत्री जैसाराम 7 धुडी  
पुत्री जैसाराम जाति प्रजापत 8 बालूराम 9 लुम्भाराम 10 चनणाराम  
पिसरान नवलाराम 11 रामाराम 12 नखताराम 13 हडुराम पिसरान  
बगताराम 14 विरदाराम पुत्र दुर्गाराम 15 भूराराम पुत्र मुकनाराम 16  
मूलाराम पुत्र अखाराम जाति कुम्हार 17 चन्दाराम पुत्र नगाराम  
जाति प्रजापत निवासी नारणोणियों की ढाणी (भाडखा) तहसील व  
जिला बाड़मेर 18 मैनेजर रा.म.ग्रा.बै. शाखा भाडखा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 44/2019 दिनांक-

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा नारणोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाडखा तहसील व  
जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 155/103 रकबा 39.13 बीघा व खसरा संख्या 199/103  
रकबा 27.13 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु  
तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने  
से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि  
निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व  
विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में  
नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये  
मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(नीरज मिश्र)


उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक-

क्रमांक :- रीडर/2019/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भाडखा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. तुलछाराम पुत्र हरलाल वगैराह जाति जाट निवासी नारणोणियों की ढाणी (भाडखा) तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी लूणाराम पुत्र मोतीराम वगैराह जाति नाई निवासी नारणोणियों की ढाणी (भाडखा) तहसील व जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर